कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-92/2017-18/

दिनांक : /01/2018

सेवा में,

अधशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद

जोशीमठ

विषय : नगर पालिका परिषद, जोशीमठ का वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 07 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 92/2017-18/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पासदेहरादून ,
2. निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पंचराम चौहान, वरिष्ठ लेखाकार तथा श्री भास्करानंद त्रिपाठी, सहायक लेखाधिकारी द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा, लेखाधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक **18.05.2011** से **31.05.2011** तक संपादित की गयी थी जिसमें माह **04/2008** से **03/2011** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **48.42 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **16,709 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **09**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **12 बैठकें प्रतिवर्ष**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **37**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **दुकानें, कार्यालय भवन तथा गेस्ट लॉज आदि |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	5324554	5822740	39728955	32499075	6762000	10299605	0	12554434	0	2285135
2015-16	12554434	2285135	39822622	50586012	49089000	49702793	0	1791044	0	1671342
2016-17	1791044	1671342	41944468	39174777	19360000	14328352	0	4560735	0	6702990
कुल योग			**121496045**	**122259864**	**75211000**	**74330750**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का वर्ष 2011-12 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5006000	5006000	3645464	1360536
2	राज्य वित्त आयोग	1932754	22144000	24076754	21935132	2141622
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	चारधाम यात्रा अनुदान	0	250000	250000	250000	0
7	दैवीय आपदा	4787894	0	4787894	4289394	498500
8	मा. मुख्यमंत्री निर्मल पुरस्कार योजना	0	2500000	2500000	34400	2465600
9	हुड़को से प्राप्त अनुदान	0	0	0	0	0
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	0	0	0	0
11	पर्यटन	0	500000	500000	500000	0
12	बी.आर.जी.एफ.	0	9368755	9368755	3037718	6331037
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1847830	5297063	7144893	5743697	1401196
	कुल योग	**8568478**	**45065818**	**53634296**	**39435805**	**14198491**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का वर्ष 2012-13 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1360536	219000	1579536	1579536	0
2	राज्य वित्त आयोग	2141622	33963000	36104622	35856561	248061
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	चारधाम यात्रा अनुदान	0	260000	260000	260000	0
7	दैवीय आपदा	498500	0	498500	229505	268995
8	मा. मुख्यमंत्री निर्मल पुरस्कार योजना	2465600	0	2465600	2465600	0
9	हुड़को से प्राप्त अनुदान	0	0	0	0	0
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	0	0	0	0
11	पर्यटन	0	472660	472660	417700	54960
12	बी.आर.जी.एफ.	6331037	3558000	9889037	8682950	1206087
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1401196	41457913	42859109	33294536	9564573
	कुल योग	**14198491**	**79930573**	**94129064**	**82786388**	**11342676**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का वर्ष 2013-14 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3718000	3718000	3718000	0
2	राज्य वित्त आयोग	248061	33623000	33871061	32121406	1749655
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	चारधाम यात्रा अनुदान	0	348000	348000	348000	0
7	दैवीय आपदा	268995	0	268995	30596	238399
8	मा. मुख्यमंत्री निर्मल पुरस्कार योजना	0	0	0	0	0
9	हुड़को से प्राप्त अनुदान	0	0	0	0	0
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	0	0	0	0
11	पर्यटन	54960	850000	904960	0	904960
12	बी.आर.जी.एफ.	1206087	5670000	6876087	2196706	4679381
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	9564573	6696021	16260594	12685695	3574899
	कुल योग	**11342676**	**50905021**	**62247697**	**51100403**	**11147294**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5841000	5841000	3877618	1963382
2	राज्य वित्त आयोग	1749655	33623000	35372655	24446321	10926334
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	आई.ई.सी.	0	0	0	0	0
6	चारधाम यात्रा अनुदान	0	600000	600000	600000	0
7	दैवीय आपदा	238399	0	238399	6310	232089
8	मा. मुख्यमंत्री निर्मल पुरस्कार योजना	0	0	0	0	0
9	हुड़को से प्राप्त अनुदान	0	0	0	0	0
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	0	0	0	0
11	पर्यटन	904960	321000	1225960	1171000	54960
12	बी.आर.जी.एफ.	4679381	0	4679381	4644677	34704
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	3574899	6105955	9680854	8052754	1628100
	कुल योग	**11147294**	**46490955**	**57638249**	**42798680**	**14839569**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1963382	5610000	7573382	7573382	0
2	राज्य वित्त आयोग	10926334	33623000	44549334	42845424	1703910
3	अवस्थापना विकास निधि	0	3000000	3000000	3000000	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	1640000	1640000	290411	1349589
5	आई.ई.सी.	0	45000	45000	45000	0
6	चारधाम यात्रा अनुदान	0	500000	500000	500000	0
7	दैवीय आपदा	232089	0	232089	0	232089
8	मा. मुख्यमंत्री निर्मल पुरस्कार योजना	0	0	0	0	0
9	हुड़को से प्राप्त अनुदान	0	1750000	1750000	1750000	0
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	36544000	36544000	36544000	0
11	पर्यटन	54960	0	54960	0	54960
12	बी.आर.जी.एफ.	34704	0	34704	0	34704
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1628100	6199622	7827722	7740588	87134
	कुल योग	**14839569**	**88911622**	**103751191**	**100288805**	**3462386**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	9142000	9142000	4974000	4168000
2	राज्य वित्त आयोग	1703910	33623000	35326910	31009158	4317752
3	अवस्थापना विकास निधि	0	3573000	3573000	3080331	492669
4	स्वच्छ भारत मिशन	1349589	1400000	2749589	1254021	1495568
5	आई.ई.सी.	0	20000	20000	20000	0
6	चारधाम यात्रा अनुदान	0	1500000	1500000	1500000	0
7	दैवीय आपदा	232089	0	232089	0	232089
8	मा. मुख्यमंत्री निर्मल पुरस्कार योजना	0	0	0	0	0
9	हुड़को से प्राप्त अनुदान	0	3500000	3500000	3500000	0
10	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	0	0	0	0
11	पर्यटन	54960	225000	279960	0	279960
12	बी.आर.जी.एफ.	34704	0	34704	0	34704
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	87134	8321468	8408602	8165619	242983
	कुल योग	**3462386**	**61304468**	**64766854**	**53503129**	**11263725**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

(ii) इकाई द्वारा रोकड़ बही में बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	5841000	5841000	3877618	1963382
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	1963382	5610000	7573382	7573382	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	9142000	9142000	4974000	4168000
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	1640000	1640000	290411	1349589
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	1349589	1400000	2749589	1254021	1495568

भाग II-'अ'

प्रस्तर 01: त्रुटिपूर्ण गणना के कारण निर्माण कार्य सम्बन्धी भुगतानों में ठेकेदारों को रु. 6.48 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

इकाई की लेखापरीक्षा में विस्तृत जाँच हेतु चयनित पत्रावलियों की जाँच में पाया गयाः

(i) कार्यों के सापेक्ष कये गये भुगतानों में की गयी आयकर कटौती 1 व 2 प्रतिशत की अलग-अलग दर पर की गयी थी।

(ii) व्यवसायिक करों की कटौती भी भन्न भन्न दरों 2,4 एवं 6 प्रतिशत की दर पर की गयी थी, इस सम्बन्ध में पत्रावली में कोई आधार उल्लि खत नहीं था।

(iii) भ्र मक उपकर की कटौती समान रुप से नही की गयी थी, एवं

(iv) च लत बिलों में कये गये भुगतानों एवं उसके पश्चात अंतिम भुगतान के समय पूर्व के च लत बिल की कुल रा श (Gross amount) न घटाकर, ठेकेदार को देय रा श (net amount) घटायी जा रही थी, जिसके कारण ठेकेदारों को देयता से अ धक (over payment) का भुगतान कया गया था।

इस प्रकार भुगतान में त्रुटिपूर्ण प्र क्रया से गणना कये जाने के कारण नमूना जाँच की गयी पत्रावली (अनुसूची ब के अनुसार) में रु. 6.48 लाख का अ धक भुगतान ठेकेदारों को कया गया था तथा अन्य कटौतियों में समस्त दरें नही लगायी गयी थी।

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया क आयकर/व्यवसायिक कर, फर्म अथवा व्यक्तिगत ठेकेदार के अनुसार अलग-अलग दरों पर काटा गया हैं परन्तु इकाई कोई दस्तावेज उपलब्ध न करा सकी, एवं अ धक भुगतान के सम्बन्ध मे बताया गया क इस सम्बन्ध में तथ्य को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः निर्माण कार्यों में भुगतान के सम्बन्ध में समस्त दरें न लागू करने एवं त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अ धक भुगतान कये जा रहे तथ्य को प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 01: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `1,74,240/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, जोशीमठ, जनपद-चमोली के चयनित माहों के लेखा-अभिलेखों/वाऊचरों जाँच (अक्टूबर-नवम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | चयनित माहों के लेखा-अभिलेखों/वाऊचरों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **17** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`1,74,23,840/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`1,74,240/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया कि संलग्नक में लिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष `**1,74,240/-** की वसूली संबन्धित ठेकेदारों से करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद जोशीमठ, जनपद-चमोली द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न कि
चयनित माहों फरवरी 2015 एवं मार्च 2016 के वाऊचर्स)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	जो की थी (@
1	2014-15	राज्य वित्त	श्री विजय डिमरी, रविग्राम में पेट्रोल पम्प के ऊपर नई बस्ती में सम्पर्क मार्ग निर्माण	400000	
2	2014-15	राज्य वित्त	मै. नवदुर्गा इंटरप्राइजेस, सुनील दोडिल में रघुवर शाह के मकान तक मार्ग निर्माण	2007333	
3	2014-15	राज्य वित्त	श्री कृपाल सिंह पंवार, गाँधी मैदान का सौंदर्यीकरण	572679	
4	2014-15	राज्य वित्त	श्री आशाराम ब्यास, अपर बाजार में PWD विभाग के कार्यालय तक टाइल्स निर्माण कार्य	1961850	
5	2014-15	राज्य वित्त	श्री माधव प्रसाद, मारवाड़ी में पार्किंग स्थल से सड़क तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	748002	
6	2014-15	राज्य वित्त	श्री राजेन्द्र सिंह, सिंहधार में सुधीर पंवार के मकान के समीप निर्माण कार्य	312361	
7	2014-15	राज्य वित्त	श्री सुभाष नौटियाल, मैठानागढ़ में हयात सिंह के मकान के समीप मार्ग निर्माण	252610	
8	2015-16	राज्य वित्त	श्री संजय उनियाल, MES वाटर टैंक से गैस गोदाम तक बाईपास सड़क निर्माण - जॉब-02	960116	
9	2015-16	केन्द्र वित्त	श्री राजेन्द्र सिंह पोखरियाल,गौंख चुंगी चौकी के समीप कूड़ा स्थल पर मरम्मत कार्य	253000	
10	2015-16	केन्द्र वित्त	श्री राजेन्द्र सिंह पोखरियाल, तहसील सड़क पर मूत्रालय का निर्माण कार्य	96853	
11	2015-16	केन्द्र वित्त	श्री राजेन्द्र सिंह पोखरियाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्राथमीकरण हेतु स्थल विकास कार्य	869628	
12	2015-16	केन्द्र वित्त	श्री प्रदीप भट्ट, जे.पी. कंपनी के समीप एम.एस.पाइप लगाने का कार्य	352771	
13	2015-16	राज्य वित्त	श्री माधव प्रसाद डिमरी, न्यू रविग्राम में मिलन केन्द्र का निर्माण	671160	
14	2015-16	राज्य वित्त	श्री पूर्णानन्द ब्यास, बिरला धर्मशाला के समीप नाले के बांयी ओर हल्के वाहनों की पार्किंग स्थल का निर्माण	6485678	
15	2015-16	राज्य वित्त	श्री राजेन्द्र प्रसाद रतूड़ी, PWD कार्यालय सड़क के किनारे मिट्टी तेल डिपो के समीप हल्के वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण	656031	
16	2015-16	राज्य वित्त	श्री गणेश डिमरी, सिंहधार में नाले का निर्माण	544808	

17	2015-16	राज्य वित्त	श्री कृपाल सिंह, सिंहधार में जोवेरी लाल व खराधार बस्ती में मार्ग एवं नाली निर्माण	278960	
			कुल योग	**17423840**	**1**

भाग II-'ब'

प्रस्तर 02: कार्य की स्वीकृति, आवंटन एवं क्रियान्वयन के स्तरों पर अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियम 13(1) में प्रावधानित है कि रु. 25.00 लाख अथवा अधिक की अनुमानित लागत के सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों मे विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाये। रु. 25.00 लाख से कम कीमत की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।

नियमावली के नियम 22(2) में प्रावधानित है कि फर्मों को अग्रिम भुगतान (क) निजी फर्मों को अनुबन्ध के मुल्य का 30 प्रतिशत (ख) राज्य/केन्द्र सरकार की इकाई के सार्वजनिक उपक्रम हेतु अनुबन्ध मूल्य का 40 प्रतिशत होना चाहिये।

नियम 48(2) में प्रावधानित है कि ठेकेदारों को अग्रिम, अग्रिम धनराशि के समायोजन अथवा कटौती तक ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जायेगें। अग्रीम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिये बैंक गारण्टी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जाये।

इकाई की लेखापरीक्षा (नवम्बर 2017) में चयनित पत्रावलियों की जाँच में कार्य के आगणन गठित कर उसके आवंटन/क्रियान्वयन में निम्न लिखित त्रुटियाँ थीः-

(i) रु. 46.54 लाख की सीमा तक के आगणन की स्वीकृत अवर अभियन्ता द्वारा दी गयी थी

(ii) अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुक्रम में प्रति स्पर्धी दरें प्राप्त करने की कार्यावाही नहीं की गयी थी।

(iii) गठित आगणन के विरुद्द सम्पादित कार्य की लागत में 40 प्रतिशत तक की भिन्नता थी, जिसकी अपेक्षित स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गयी थी।

(iv) ठेकेंदारों को अग्रिम का भुगतान बिना किसी ब्याज/बैंक गारण्टी के दिया जा रहा था।

(v) कार्य में प्रयुक्त सामग्री के विशिष्टियों की जांच नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार कार्यों के आवंटन/क्रियान्वयन स्तर पर अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। जिससे कार्य की गुणवत्ता के प्रभावित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

तथ्यों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि कार्य के आवंटन एवं अन्य प्रावधानों के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 03: गृहकर एवं दुकान किराये की वसूली `28.54 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर एवं दुकान किराया किसी भी नगर पालिका की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

नगर पालिका परिषद, जोशीमठ, जनपद-चमोली के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर-नवम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर तथा दुकान किराये की वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	370709	1340416	1711125	1186742 **(69%)**	424383
02.	2015-16	524383	1361585	1885968	1108084 **(59%)**	777884
03.	2016-17	777884	1361585	2139469	1485158 **(69%)**	654311

तालिका 2: दुकान किराया वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	1007998	3587069	4595067	2970333 **(65%)**	1624734
02.	2015-16	1624734	2664440	4289174	2189919 **(51%)**	2099255
03.	2016-17	2099255	3072828	5172083	2972213 **(57%)**	2199870

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर एवं दुकान किराये की कुल बकाया धनराशि **`28.54 लाख {(गृहकर `6.54 लाख+दुकान किराया `22.00 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **59** से **69** प्रतिशत तथा दुकान किराये के रूप में केवल **51** से **65** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17

जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही है | पूर्ण वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर एवं दुकान किराये की बकाया वसूली `28.54 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 4– ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं रू0 62.28 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड.)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप–VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, टनकपुर, चम्पावत (न0पा0प0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 5.00 टन अपशिष्ट 03 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिन नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पा0प0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष प्रेषित नहीं

की जा रही थी। न0पा0प0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट को बिना किसी प्रक्रिया के वन विभाग के अनाधिकृत भू–भाग पर डाला जा रहा था। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में पालिका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के प्राधिकार में कप्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पा0प0 द्वारा कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी, कार्मिको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित किये गये थे। अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय वित आयोग एवं राज्य सरकार से प्राप्त के अन्तर्गत व्यय की गयी राशि रू0 62.28 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 **द्वारा कोई उप व ध नहीं बनायी गयी थी, क र्मको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वतरित कये गये थे। न.पा.प. द्वारा वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से प्राप्त धनरा श मे से व्यय धनरा श रु. 62.28 लाख का उपयो गता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रे षत नहीं कया गया था।**

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वाहनों की कमी होने के कारण सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट नहीं उठाया जा रहा है, निकाय के पास उपलब्ध वाहन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है, वैज्ञानिक भूमि भरण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अपशिष्ट का पृथकीकरण नही किया जा रहा है, नियमों के अनुसार उपविधियां भविष्य में बनायी जायेगी, भविष्य में आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय करके सफाई कर्मचारियों को वितरित किया जायेगा। भविष्य में रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों को प्रशिक्षण नही दिया गया, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना सम्भव नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट वर्तमान में नही भेजी जा रही है, भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा। भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2016–17 में व्यय की गयी राशि रू0 62.28 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 62.28 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 5: सेवा पुस्तिकाओं का अनियमित रख-रखाव एवं त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)/2011 दिनांक 08/03/2011 के संलग्नक-2 के अनुसार छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए. सी. पी. के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद,जोशीमठ, जनपद चमोली के अधिकारियों/कर्मचारियों की चयनित सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं का वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सेवा पुस्तिकाओं मेंवित्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन निर्धारण आदि के आदेशों की प्रतिलिपियाँ/प्रविष्टियाँ संलग्न/अंकित नहीं की जा रही थी। अवकाश खातों का अधतन नहीं किया जा रहा है। छठवें वेतन आयोग के लागू होने/ वित्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण थे **(जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं में पायी गयी त्रुटियाँ संलग्नक "अ" पर अंकित)।**

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त त्रुटियों की पुनः जांच कर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका रख-रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक अ

नगर पा लका परिषद, जोशीमठ, जनपद - चमोली के अ धकारी/कर्मचारियों की जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं का ववरण

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	पदनाम	टिप्पणी
1.	सत्येश्वर प्रसाद नौटियाल	कनिष्ठ ल पक	01/01/2006 को वेतन त्रुटिपूर्ण निर्धारण कया गया था। (01/01/06 को वेतनमान 7340/- + 1900/- के स्थान पर 7790/- + 2000/- दर्शाया गया था)।
2.	मुकेश कुमार	सफाईकार	01/01/2006 को वेतन त्रुटिपूर्ण निर्धारण कया गया था। (01/01/06 को वेतनमान 5410/- के स्थान पर 5530/- दर्शाया गया था)। 31/12/10 के बाद सेवा का वा षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 12 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
3.	गोदाम्बरी देवी	चपरासी	01/01/2006 को वेतन त्रुटिपूर्ण निर्धारण कया गया था। (01/01/06 को वेतनमान 6080/- के स्थान पर 6060/- दर्शाया गया था)। सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द् वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्र वष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/12/10 के बाद सेवा का वा षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 12 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
4.	आनंद संह पँवार	चालक	सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द् वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्र वष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/12/10 के बाद सेवा का वा षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 12 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
5.	वजय संह राणा	परिचारक	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6310/- के स्थान पर 6160/- दर्शाया गया था)। सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द् वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्र वष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/12/10 के बाद सेवा का वा षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 12 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
6.	बबलू	सफाईकार	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6310/- के स्थान पर 6160/- दर्शाया गया था)। सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द् वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्र वष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/01/07 के बाद सेवा का वा षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 15 के बाद अधतन नहीं कया गया था।

7.	कशन	सफाईकार	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6310/- के स्थान पर 6160/- दर्शाया गया था)। सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द्वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्रवष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/01/07 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 12 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
8.	आदेश	सफाईकार	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6310/- के स्थान पर 6160/- दर्शाया गया था)। सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द्वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्रवष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/01/11 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का दिसंबर 13 के बाद अधतन नहीं कया गया था। अवकाश लेखे को ऋणात्मक दर्शाया गया था।
9.	वशन	सफाईकार	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6200/- के स्थान पर 6060/- दर्शाया गया था)। 31/01/09 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 13 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
10.	सुषमा	सफाईकार	सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 13 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
11.	अनीता देवी	सफाईकार	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/07/08 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/07/08 को वेतनमान 5410/- के स्थान पर 5530/- दर्शाया गया था)। 30/06/11 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 13 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
12.	सुरेश कुमार	सफाईकार	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6310/- के स्थान पर 6290/- दर्शाया गया था)। सेवा पुस्तिका में प्रथम एवं द्वतीय वत्तीय स्तरोन्नयन की प्रवष्टियाँ नहीं की गयी थी। 31/01/07 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 12 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
13.	जगदीश लाल	कर एवं राजस्व मोहर्रिर	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 7320/- के स्थान पर 7210/- दर्शाया गया था)। छठवें वेतनमान के उपरांत लागू वत्तीय स्तरोन्नयन के अनुसार

			01/09/2008 से अनुमन्य तृतीय वत्तीय स्तरोन्नयन के उपरांत 2800/- के स्थान पर 2400/- का ग्रेड वेतन दिया गया था। 31/12/14 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 15 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
14.	अमर देव सती	चालक	सेवा पुस्तिका में 01/01/2012 के बाद के वेतन निर्धारण/वार्षक वेतन वृद्धयों की प्रवष्टियाँ अंकत नहीं की गयी थी। 31/12/2010 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का दिसम्बर 2015 के बाद अधतन नहीं कया गया था।
15.	कुन्दन संह	चपरासी	छठवें वेतनमान अनुमन्य कए जाने के उपरांत 01/01/06 को कया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था (01/01/06 को वेतनमान 6310/- के स्थान पर 6160/- दर्शाया गया था)। 31/12/12 के बाद सेवा का वार्षक सत्यापन नहीं कया गया था। अवकाश लेखों का जून 15 के बाद अधतन नहीं कया गया था।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 6 : नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किया जाना।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत केसमतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्थाद्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जोशीमठ, चमोली के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिलों/नई अंशदान पेंशन योजना के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पालिका परिषद, जोशीमठ, चमोली में निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त किया गया था:-

क्रमांक	**कर्मचारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमति)**	**पदनाम**	**नियुक्ति तिथि**
1.	भारत भूषण पँवार	लिपिक	01/09/2007
2.	अनीता देवी	पर्यावरण मित्र	10/10/2007
3.	सुषमा कुमारी	पर्यावरण मित्र	05/09/2012
4.	मोहन	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
5.	मुकेश	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
6.	राजकुमार	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
7.	प्रेम कुमार	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
8.	सुनील	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
9.	सतवीर	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
10.	अमीचन्द	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
11.	सतीश	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
12.	गंगेश	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
13.	ओमप्रकाश	पर्यावरण मित्र	02/01/2017
14.	राजू	पर्यावरण मित्र	02/01/2017

उक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त में से क्रमांक 01से 03 पर अंकित कर्मचारियों के वेतन बिलों में नगर पालिका निधि से 12% का अंशदान कर पेंशन की कटौती की जा रही थी जिसे संबन्धित कर्मचारियों के कैनरा बैंक में बचत खाते में जमा किया जा रहा था। उक्त कर्मचारियों के से अंशदायी पेंशन योजना की कोई कटौती नहीं की जा रही थी। क्रमांक 04 से 14 पर अंकित कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी पेंशन योजना की कोई कटौती नहीं की जा रही थी एवं नियोक्ता द्वारा भी पेंशन अंशदान की राशि जमा नहीं की जा रही थी। इन कर्मचारियों के कोई बैंक खाते भी नहीं खोले गए थे।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों के अभाव में उचित क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। शीघ्र ही उक्त सभी कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रियान्वयन नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, जनपद-चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2011-12** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **28 अक्टूबर 2017** से **06 नवम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
पी.आर.आई./एल.बी./प्रतिवेदन संख्या-25/2011-12/887 दिनांकित 05.08.2011	भाग 4(ब)-I – प्रस्तर संख्या 01	भाग 4(ब)-II – प्रस्तर संख्या 01 से 10	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
पी.आर.आई./एल.बी./प्रतिवेदन संख्या-25/2011-12/887 दिनांकित 05.08.2011	--	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई		इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

नगर पालिका परिषद जोशीमठ, जनपद-चमोली द्वारा ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण किया जा रहा है तथा पृथक्कीकरण के कारण अजैविक कूड़े की बिक्री से इकाई द्वारा दिनांक 07.12.2010 से 13.05.2017 के दौरान 30,29,581/- की आय अर्जित की गई है |

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, जनपद-चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री भगवती प्रसाद कपरूवाण	अधिशासी अधिकारी	19.06.08 से 31.10.13 तक
02.	श्री प्रकाश चन्द्र फोनिया	अधिशासी अधिकारी	01.11.13 से 17.02.14 तक
03.	श्री एस.पी.भट्ट	अधिशासी अधिकारी	18.02.14 से 23.06.14 तक
04.	श्री पी.के.बंसल	अधिशासी अधिकारी	24.06.14 से 01.11.15 तक
05.	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	अधिशासी अधिकारी	02.11.15 से वर्तमान तक
06.	श्री ऋषिप्रसाद सती	अध्यक्ष	01.05.08 से 03.05.13 तक
07.	श्रीमती रोहिणी रावत	अध्यक्षा	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ, जनपद-चमोली** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/32 दिनांकित 10.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय